महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर–334004 (राजस्थान) भारत
NH-15, Jaiselmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA

क्रमांकःप.02(06– I I, Pract.) मगसिंविवी / परीक्षा / गोपनीय / 2026 / 153-55 दिनांक : 07/03/2026

1. विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक विभाग, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
2. प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. निदेशक, स्कूल ऑफ लॉ, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।

विषयः– स्नातक / स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि, शिक्षा) एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत संचालित सेमेस्टर दिसम्बर 2025 की आंतरिक मूल्यांकन के अंक ऑन लाईन भरने एवं प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक / स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि, शिक्षा) एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत संचालित सेमेस्टर दिसम्बर 2025 की आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 11.03.2026 से 31.03.2026 के मध्य आयोजित की जानी है।

1. **स्नातक स्तर पर आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन के संबंध में :–**

(i) स्नातक स्तर का आंतरिक मूल्यांकन महाविद्यालय के संबंधित विषय विशेषज्ञ को प्राचार्य द्वारा नियुक्त कर उक्त परीक्षा का आयोजन करवाया जाना है। आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि भी ऑनलाईन ही की जानी है। इस हेतु विभाग / महाविद्यालय पोर्टल पर बैच उपलब्ध करवा दिये गये है। **निर्धारित अवधि उपरांत आंतरिक मूल्यांकन के अंक स्वीकार नहीं किए जायेंगे।**

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा प्रायोगिक परीक्षा संबंधित महाविद्यालय के विषय विशेषज्ञ द्वारा संपादित करवाई जायेगी।

(iii) उक्त प्रायोगिक परीक्षा के लिए संबंधित विषय विशेषज्ञ को बाह्य परीक्षक के समान मानदेय देय होगा।

2. **स्नातकोत्तर स्तर पर आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन के संबंध में :–**

(i) स्नातकोत्तर / प्रोफेशनल / विधि / डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आंतरिक मूल्यांकन महाविद्यालय के संबंधित विषय विशेषज्ञ को प्राचार्य द्वारा नियुक्त कर उक्त परीक्षा का आयोजन करवाया जाना है। आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि भी ऑनलाईन ही की जानी है। इस हेतु विभाग / महाविद्यालय पोर्टल पर बैच उपलब्ध करवा दिये गये है। **निर्धारित अवधि उपरांत आंतरिक मूल्यांकन के अंक स्वीकार नहीं किए जायेंगे।**

(ii) स्नातकोत्तर विषयों में दो केडिट कोर्स पेपर्स (नॉन–सीजीपीए) के सभी सेमेस्टर (1–4) का मूल्यांकन विश्वविद्यालय नहीं करवायेगा जो कि पूर्णतया आंतरिक होगा। महाविद्यालय अपने स्तर पर मूल्यांकन कर संतोषजनक / असंतोषजनक विवरण विश्वविद्यालय को प्रेषित करेगा। स्वयंपाठी छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन का मानदेय प्रायोगिक परीक्षा के समान प्रति छात्र विश्वविद्यालय द्वारा देय होगा।

(iii) स्नातकोत्तर स्तर पर प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षकों का पैनल विभाग / महाविद्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

3. **सामान्य दिशा–निर्देश**

(i) बाह्य परीक्षक से सम्पर्क नहीं होने अथवा परीक्षक द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु विभाग / महाविद्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध सम्बन्धित विषय के संयोजक (Convener) / अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क कर नवीन परीक्षक का रजिस्ट्रेशन करें। नवीन परीक्षक के रजिस्ट्रेशन उपरान्त इसकी सूचना ई–मेल के द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

(ii) उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त विभाग / महाविद्यालय स्तर पर की गई बाह्य परीक्षक की वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार नहीं की जावेगी।

(iii) विभाग / महाविद्यालय में पंजीकृत समस्त परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा उपर्युक्त निर्धारित अवधि में ही आयोजित करावें। विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना निर्धारित अवधि के पश्चात् विभाग / महाविद्यालय स्तर पर आयोजित परीक्षा मान्य नहीं होगी।

(iv) प्रायोगिक परीक्षा के लिये विश्वविद्यालय की प्रायोगिक उत्तरपुस्तिका का उपयोग कर प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करवायी जानी है।

(v) प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों की अंक सूची प्रिंट कर एक प्रति विश्वविद्यालय (University Copy) में भिजवाए तथा एक प्रति विभाग / महाविद्यालय (Principal Copy) में सुरक्षित रखें।

(vi) प्रायोगिक परीक्षा की प्रत्येक अंक सूची पर बाह्य परीक्षक एवं आन्तरिक परीक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

(vii) प्रायोगिक परीक्षा हेतु जिन परीक्षार्थियों के रोल नं जारी नहीं हुए हैं, ऐसे पात्र परीक्षार्थियों (Additional/New Student/Batch Transfer Candidate) के उपलब्ध विवरण को ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में इंद्राज करते हुए (यथा रोल नं., पिता का नाम, फॉर्म नं.) प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। परीक्षा आवेदन पत्र की जॉच के दौरान परीक्षार्थी के अपात्र पाए जाने की स्थिति में

7/3/26

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर–334004 (राजस्थान) भारत
NH-15, Jaiselmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA

किया जा सकता है। परीक्षा आवेदन पत्र की जॉच के दौरान परीक्षार्थी के अपात्र पाए जाने की स्थिति में उसकी प्रायोगिक परीक्षा निरस्त कर दी जावेगी।

(viii) प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों की निर्धारित अवधि उपरान्त अलग से प्रायोगिक परीक्षा आयोजित नहीं करावें।

(ix) बाह्य परीक्षकों का पैनल अति गोपनीय है। अतः विभागाध्यक्ष/प्राचार्य इसकी गोपनीयता बनाए रखें।

4. **प्रायोगिक तथा आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि ऑनलाईन की जानी है। जिसके दिशा–निर्देश निम्नानुसार है–**

(i) first add examiner.
(ii) search batch by selecting exam and subject.
(iii) allot examiner to batch.
(iv) print attendance sheet of students.
(v) if wrong examiner allotted then de-allot the examiner by selecting exam and subject.
(vi) Examiner can login by entering mobile number and OTP.
(vii) Examiner have to complete the profile if not completed.
(viii) Examiner can fill the marks of the students.
(ix) Edit or lock the marks of students.
(x) print the marks of locked batch.
(xi) If examiner wants to change the marks after locking then he/she can unlock batch by login with OTP then enter batch number to unlock it.
(xii) Again repeat the process till lock the marks of students.
(xiii) Now examiner can generate the bill.

5. प्रायोगिक परीक्षा ऑनलाईन करवाने के सम्बंध में किसी प्रकार की कोई तकनीकी कठिनाई आने पर पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाईन नम्बर (**9460713090 7230068203**) से सम्पर्क करें। समाधान न होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।

27/3/26
(प्रो. राजाराम चोयल)
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांकःप.02 (06–II, Pract.) मगसिंविबी/गोपनीय/2026/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, कुलगुरु, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. निजी सहायक, कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक–वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4. अति. कुलसचिव (शैक्षणिक–II), महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव–परीक्षा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. तकनीकी फर्म को प्रेषित कर लेख है कि आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षा हेतु संबंधित विषयों के बैच खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

(रजत भटनागर)
सहा. कुलसचिव (गोप.)